न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 396/17 निर्णय दिनांक :–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 एवं धारा 304(1) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम

उनवान

नानगा व अन्य बनाम जगदीश व अन्य

वाद बाबत घोषणा, खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 रा0टी0एक्ट

प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और आज की तारीख पेशी वास्ते बहस हेतु नियत है। वादी द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत कर वाद पत्र में घोषणा खातेदारी, दुरस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। वादी द्वारा उक्त वाद मिन उत्तरदाता को श्धारा 304 (4) राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत 2 माह का नोटिस दिये बिना ही प्रस्तुत किया गया है। इस कारण वादी का वाद कानूनन धारा 304 (3) की पालना किये बिना ही प्रस्तुत किये जाने के कारण पोषणीय नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2014 (3) डीएनजे राजस्थान पेज 1105 मुरलीराम व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में प्रतिपादित किया गया है। कानूनन वादी को धारा 304 (1) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत नोटिस दिये जाने से भी छुट नहीं दी जा सकती। इस कारण भी वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा बाधित होने के कारण आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत उक्त विधिक स्थिति एवं न्यायिक दृष्टान्त की रोशनी में खारिज किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद विधि द्वारा बाधित होने के कारण खारिज फरमाये जाने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का पेश होने पर प्रार्थना पत्र की प्रति वादी वकील को दी गयी तो वादी वकील ने प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार पेश किया गया कि प्रार्थना पत्र का मद संख्या 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का मद संख्या 2 स्वीकार नही है। इस मद में प्रार्थी ने मिथ्या कथन अभिव्यक्त किये है। प्रार्थना पत्र का मद संख्या 3

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

अस्पष्ट है इसलिये जवाब दिया जाना मुमकिन नही है। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण रास्ते का होने से वादग्रस्त भूमि के संबंध में जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार इस प्रकार पेश किया गया कि मद संख्या 1 मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त ग्राम चाकसू पूर्व सम्बत 2039–2043 में उक्त वर्णित ख0 नं0 कुल किता 5 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा की खातेदारी नानगा पि0मु0 मोहरिया व भुवाना पुत्र छोटू जाति माली सा0 देह के नाम दर्ज थी। मद संख्या 2 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल में दर्ज अंकन की हद तक स्वीकार है। मद संख्या 3 के कम में विवादित खसरा नं0 5757 रकबा 0.06 है0 किस्म गै० मु0 रास्ता दर्ज है जिसकी खातेदारी नानगा पि0मु0 मोहरिया हि0 1/4 लक्ष्मीनारायण पुत्र बालू हिस्सा 1/4 घीसी देवी पत्नि ग्यारसा रेवडमल मांगीलाल मुन्नालाल पि0 ग्यारसा हि0 1/4 नाथूलाल पुत्र भुवाना हि0 1/4 जाति माली सा0 चाकसू के नाम दर्ज है। वर्तमान ख0 नं० 5757 गत खसरा नं० 1017 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा का भाग है। गत रिकार्ड में कही पर भी गै0मु0 रास्ते का अंकन नही है। वाद दायर होने से पूर्व मौके पर रास्ता चालू था तथा वर्तमान में रास्ता बंद है। उक्त विवादित खसरा नं0 5757 पर माननीय न्यायालय आरएए जयपुर का स्थगन आदेश प्रभावी है। मद संख्या 4 वादी स्वयं सिद्ध करें। मद संख्या 5 से 10

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

कानूनी है। मद संख्या 11(क) से 11(ग) माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है जवाब सरकार पेश होने पर पक्षकारान वकील की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 की सुनी गयी तो प्रार्थी/प्रतिवादी सं 3 व 5 ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि वादी ने दावा करने से पूर्व धारा 304(1) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत 2 माह का नोटिस दिये बिना ही प्रस्तुत किया गया है जो कानूनन 304(1) की पालना किये बिना प्रस्तुत किये जाने के कारण दावा पोषणीय नही इस बाबत न्यायिक दृष्टान्त 2014 (3) डी0एन0जे0 राजस्थान पेज 1105 मुरलीराम व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का अवलोकन किया, इस प्रकार कानूनन वादी को धारा 304(1) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत नोटिस दिये जाने में छूट नही दिये जाने योग्य होने से प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 के तहत खारिज किये जाने योग्य है। जवाब सरकार में भी विवादित खसरा नम्बर 5757 रकबा 0.06 है0, किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज है जो वाद दायर होने से पूर्व चालू था। उक्त रास्ते में राजस्थान सरकार दावा पुख्ता सडक नगरपालिका द्वारा निर्माण किया जा चुका है जो उक्त रास्ता 30 वर्षो से अधिक पुराना रास्ता है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो आने जाने का एक मात्र रास्ता यही है, राज्य सरकार द्वज्ञरा भी निर्देश जारी किये है कि मौके पर रास्ता चालू होतो राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

जावे। रास्त व आबादी के संबंध में न्यायालय को सुनने का अधिकार नही है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे जवाब बहस वकील वादी अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि चाकसू में स्थित है जिसके वादीगण रिकार्डेड खातेदार है। दौराने सेटलमेंट खसरा नम्बर 5757 रकबा 0.06 है0 गै0मु0 रास्ता दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण जबरन दादागिरी व लाठी के जोर पर वादीगण की खातेदारी भूमि में से जबरन रास्ता निकालने पर आमदा है जबकि वादी ने दावा घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जिसमें शेष का जवाब दावा पेश होने पर तनकीयात कायम की जाकर गुणा व गुण के आधार पर निर्णय किया जाना है इस स्तर पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का खारिज फरमाया जावे। पक्षकारान वकील की बहस पर गौर किया व प्रार्थना पत्र व दावा व जवाब सरकार एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया तो वादग्रस्त खसरा नम्बर 5757 रकाब 0.06 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज है जो वादग्रस्त वाद दायर करने से पूर्व रासता चालू था एवं उक्त रास्ते पर नगरपालिका द्वारा पक्की सडक निर्माण कार्य किया जा चुका है एवं वादी ने वाद दायर करने से पूर्व कानूनन धारा 304(1) की पालना किये बिना ही प्रस्तुत किया गया है (इस बाबत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा) न्यायायिक दृष्टांत की

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

रोशनी में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 5757 रकबा 0.06 है0 गै0मु0 रास्ता दर्ज होने व जवाब सरकार अनुसार दावा दायर करने से पूर्व रास्ता चालू होने व नगरपालिका को दावा करने से पूर्व धारा 304(1) के तहत नोटिस नही दिये जाने व मौके पर नगरपालिका द्वारा पक्का सडक निर्माण किये जाने से गे0मु0 रास्ता व आबादी भूमि बाबत न्यायालय हाजा को सुनने का अधिकार नही होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार किया जाता है, प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार किये जाने से दावा वादी खारिज किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.02.18 16:18:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: